N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0018 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/01/2025 15:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:58 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/01/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/01/2025 15:18:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 17 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NAKA CHIMANPURA,RANG NAHRGARH ABHYARAN, VANY JEEV,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KRISHAN SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHER SINGH YADAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	11,AMAN HOUSE, VIVEK VIHAR COLONY, SHYAM DUNGRY,NAGAL ROAD, AMER, AMER, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	11,AMAN HOUSE, VIVEK VIHAR COLONY, SHYAM DUNGRY,NAGAL ROAD, AMER, AMER, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RATIPAL SINGH		पिता:SHIMBHU SINGH	1. GRAM TULSIPURA,POST THIKRIYA,कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN,INDIA
2	OMPRAKESH MITHARWAL URF FAOJI		पिता:HARPHOOL SINGH	1. GRAM PAPARA,UDAIPURVATI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 25.01.2025 को श्री संदीप सारस्वत, अति0 पुलिस अधीक्षक ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री कृष्ण सिंह यादव पुत्र श्री शेर सिंह यादव, जाति यादव, निवासी प्लॉट नम्बर 11, अमन हाउस, विवेक विहार कॉलोनी, श्याम डूंगरी, नागल रोड, आमेर, जयपुर एवं श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री कजोडमल मीणा, जाति मीणा, निवासी 151, भूद्या की ढाणी, नागल सुसावतन, जयपुर से परिवादीयों के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादीयों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री कृष्ण सिंह यादव एवं श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी, एसआईडब्ल्यू जयपुर राज. को संम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री कृष्ण सिंह यादव ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है एवं इस पर मेरे एवं श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि " मैं श्री कृष्ण सिंह यादव पुत्र श्री शेर सिंह यादव, जाति यादव, निवासी म0न0 11, K.K.GYM के पीछे विवेक विहार कॉलोनी, आमेर, जयपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 2 दुकान की भूमि अक्षरधाम कालोनी, दिल्ली रोड, आमेर में क्रय कर रखी है तथा उक्त भूमि पर मेरे द्वारा जरिये ठेकेदार राजेन्द्र मीणा पुत्र श्री कजोड मीणा, निवासी ग्राम नागल सुसावतान, आमेर जिला जयपुर से दुकानों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वन विभाग के दो कर्मचारी श्री रतिराम फोरेस्टर व दुसरा फौजी नाम के आते है व निर्माण कार्य को जारी रखने की एवज में रिश्वत की मांग करते है रतिराम व फौजी नाम के कर्मचारियों ने पहले 15,000/- रूपये की मांग की जब मेरे ठेकेदार राजेन्द्र मीणा ने इतना देने से मना किया तो कम करके 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है मैं इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ और इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। इन लोगो से मेरी कोई रंजीश नहीं है और ना ही इनसे मेरा कोई लेन देन है। ये दोनो कर्मचारी मेरे ठेकेदार राजेन्द्र मीणा से ही रिश्वत की राशि लेगें और उसी से बात करेंगे। मैं मेरे ठेकेदार राजेन्द्र मीणा के साथ उपस्थित आया हूँ तथा राजेन्द्र मीणा को वन विभाग के कर्मचारी श्री रतिराम व फौजी से रिश्वत मांग की बात चीत के लिए अधिकृत करता हूँ। कार्यवाही करने की कृपा करें। " परिवादीयों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाये जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय में पदस्थापित श्री मुकेश कुमार कानि 100 को तलब कर उसका व परिवादीयों का आपस में परिचय करवाकर दिनांक 25.01.2025 को सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में रिश्वत की मांग की पृष्टि होने एवं दिनांक 27.01.2025 को रिश्वत राशि लेना तय होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को दिनांक 27.01.2025 को कार्यालय समय पर आरोपीगणों की रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहित ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द करते हुए उचित हिदायत कर रूखसत किया। दिनांक 27.01.2025 को परिवादी श्री कृष्ण सिंह यादव एवं श्री राजेन्द्र कुमार मीणा का दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री संजय अग्रवाल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री पवन कुमार कुमावत, कनिष्ठ सहायक के उपस्थित कार्यालय आने पर आपस में परिचय करवाया जाकर उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही बाबत अवगत कराया जाकर परिवादीयों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो स्वतन्त्र गवाह ने गोपनीय कार्यवाही में गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी व संदिग्ध आरोपीयों के मध्य दिनांक 25.01.2025 को हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय हाजा के सरकारी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी, उक्त रिकार्डशुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर शामिल

पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को संदिग्ध आरोपियों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के बीस (20) भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 10,000/-रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित है। फर्द में अंकित सभी 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों की कुल राशि 10,000/- रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु श्री मनोज कुमार कानि नं. 65 से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री संजय अग्रवाल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 10,000/- रू0 के नोट सीधे ही श्री मनोज कुमार कानि. से परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड सामने की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे तथा संदिग्ध आरोपियों से हाथ नहीं मिलावे। संदिग्ध आरोपियों द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस काल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। तत्पश्चात उपस्थित गवाहान व परिवादी के समक्ष फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री मुकेश कुमार कानि. 100 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। श्री मनोज कुमार कानि. 65 को ब्यूरो कार्यालय में मुनासिब हिदायत कर छोडा गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य श्री राधेश्याम उप पुलिस निरीक्षक, श्री मुकेश कुमार कानि. 100, श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. 442, श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258, श्री संदीप कुमार कानि. 93, श्रीमती सीमा महिला कानि. 57 एवं श्री उदयपाल सिंह कानि 550 मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी/निजी वाहनों से उत्तर-पूर्व दिशा के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को उसके निजी वाहन से साथ-साथ चलने की हिदायत कर रवाना किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रेप पार्टी उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा संदिग्ध आरोपी के कार्यालय से पहले कुण्डा, आमेर, दिल्ली रोड, जयपुर पहुंचकर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से संदिग्ध आरोपी श्री रतिपाल सिह के मोबाईल नम्बर [redacted] (तत्समय उपयोगकर्ता) पर फोन करवाया तो संदिग्ध आरोपी ने बताया कि मैं आज नहीं मिल सकता आप कल आना। उक्त मोबाईल वार्ता को श्री मुकेश कुमार कानि. 100 द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में मेरे निर्देशन में रिकॉर्ड करवाया गया। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आज संदिग्ध आरोपी श्री रतिराम फोरेस्टर नहीं मिलेगा। उसने कल के लिए कहा है। अतः आज दिनांक 27.01.2025 को ट्रेप की कोई संभावना नहीं होने से समस्त हालात चौकी प्रभारी को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अवगत करवाये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, मय दोनों स्वतंत्र गवाहन एवं ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित के कुण्डा, आमेर, दिल्ली रोड, जयपुर से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय में पहुंचे। ट्रेप कार्यपवाही के दौरान काम में लिया गया डिजीटल वाइस रिकॉर्डर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया तथा संदिग्ध अधिकारीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी साईड की जेब से श्री मनोज कानि. 65 से निकलवायी जाकर सफेद कागज में लपेटकर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को कल दिनांक 28.01.2025 को कार्यालय समय 10.00 ए.एम पर ब्यूरो मुख्यालय आने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.01.2025 को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान तथ कार्यालय स्टाफ के उपस्थित आने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे रिश्वती राशि को दोनों स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी के समक्ष श्री मनोज कुमार कानि 65 से निकलवाया गया तथा दोंनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट दिनांक 27.01.2025 से मिलान करवाया गया तो उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने रिश्वती राशि का फर्द से हुबहु मिलानकर 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के कुल 20 नोट कुल राशि 10000/- रूपये मुताबिक फर्द होना बताया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री संजय अग्रवाल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई जा कर उसके पास उसके मोबाईल के अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 10,000/-रू0 के नोट सीधे ही श्री मनोज कुमार कानि. से परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड सामने की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से

निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस काल कर मुझे ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। डिजीटल वाईस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर श्री मुकेश कुमार कानि. 100 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। श्री मनोज कुमार कानि. 65 को ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर छोडा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा एवं श्री मुकेश कुमार कानि0 100 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य श्री राधेश्याम उप निरीक्षक पुलिस, श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. 442, श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258, श्री संदीप कुमार कानि. 93, श्रीमती सीमा महिला कानि. 57 एवं श्री उदयपाल सिंह कानि 550 मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी/निजी वाहनों से उत्तर-पूर्व दिशा के लिए परिवादी की पीछे पीछे रवाना हुआ। मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रेप पार्टी उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा संदिग्ध आरोपी के कार्यालय नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर से 100 मीटर पहले पहुंचे। जहां मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनों को साईड में खडे करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाडी से नीचे उतरवाकर, उक्त कार्यालय के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। श्री मुकेश कुमार कानि. 100 ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। परिवादी के मुकरर्र ईशारे का इंतजार करने लगे। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा ने नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर के बने चौक से अपने मोबाईल से मिस काल करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचा तो परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकार्डर पेश किया जिसको मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया। परिवादी ने नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर में बने चौक में बठे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी, वनरक्षक एवं श्री रतिपाल सिंह, वनपाल हैं जिन्होंने अभी अभी मुझ से श्री कृष्ण सिंह यादव की 2 दुकान की भूमि अक्षरधाम कॉलोनी, दिल्ली रोड, आमेर की दुकानों का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू रखने की एवज में मुझसे इनकी पूर्व मांगनुसार 10,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे पैसे लेकर नाका चिमनपुरा रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर में बने कार्यालय के पीछे चले गये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने उक्त कार्यालय के बने चौक में कुर्सी बेठे दो व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए एक ने अपना नाम ओमप्रकाश मिठारवाल, वन रक्षक, नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर तथा दुसरे ने अपना नाम रतिपाल सिंह, वनपाल, नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस को रतिपाल ने बताया कि अभी अभी राजेन्द्र आया था तो श्री ओमप्रकाश ने कहा कि आप मेरे पास आ जाओं इस पर परिवादी को श्री ओमप्रकाश, वनरक्षक नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर के कार्यालय के पीछे अपने साथ लेकर गया था। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी से पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी-अभी ये राजेन्द्र आया था इनसे मैंने कोई रूपये नहीं लिये है। मैने इनसे किसी प्रकार की रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है। इस पर पास में खडे परिवादी श्री राजेन्द्र ने आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल की बातों का खण्डन करते हुए मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर के अन्दर गया तो मुझे श्री रतिपाल सिंह व श्री ओमप्रकाश दोनों नाका चिमनपुरा रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर के बाहर बने चौक में कुर्सीयों पर बेठे मिले। मैं श्री रतिपाल सिंह से मिला तो रतिपाल सिंह ने कहा कि आप ओमप्रकाश से मिलों तो ओमप्रकाश ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ आ जाओं जिस पर मैं ओमप्रकाश उर्फ फौजी के साथ-साथ चौक से उठकर कार्यालय के पीछे गया, जहां मुझसे श्री ओमप्रकाश उर्फ फौजी ने रिश्वत राशि 10000/- रूपये लिये तथा मुझे चौक में जाने लिए कहा फिर कुछ समय बाद ओमप्रकाश भी आ गया। दिनांक 25.01.2025 को 10 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग की थी, जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, उक्त 10,000 रूपये मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इसके पश्चात श्री ओमप्रकाश मिठारवाल ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम ओमप्रकाश मिठारवाल पुत्र श्री हरफूल सिंह, जाति जाट, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम पापडा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू हाल वनरक्षक, चौकी चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर है। तत्पश्चात आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल को तसल्ली देकर पूछा कि आपने दिनांक 25.01.2025 को श्री कृष्ण सिंह यादव की 2 दुकान की भूमि अक्षरधाम कॉलानी, दिल्ली रोड, आमेर की दुकानों का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू रखने की एवज में 10,000 रूपये मांगे थे, इस पर दोनों आरोपीगण चुप हो गये थे। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री ओमप्रकाश मिठारवाल, वनरक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र

गवाहान व श्री ओमप्रकाश मिठारवाल एवं श्री रतिपाल सिंह को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच के गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री ओमप्रकाश मिठारवाल के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित दोनो गवाहान व श्री ओमप्रकाश मिठारवाल को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल को हाथों में रंग आने का कारण पूछा तो श्री ओमप्रकाश ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैंने राजेन्द्र से रूपये लेकर कार्यालय नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर के पीछे बनी खिडकी में लटकी हुई ईंट के पीछे छुपाये है जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को साथ लेकर आरोपी श्री ओमप्रकाश के बताये अनुसार स्थान पर पहुचे जहां से आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल, वनरक्षक की निशाह देही में स्वतंत्र गवाहान श्री संजय अग्रवाल से रिश्वती राशि निकलवायी जाकर गिनवाई एवं पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो दोनों गवाहन ने हुबहु नम्बरी नोट 10000 रूपये होना बताया। उक्त रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री संजय अग्रवाल के पास ही सुरक्षित रखी गईं। तत्पश्चात आरोपी की निशानदेही से कार्यालय के पीछे बनी खिडकी में लटकी हुई ईंट के पिछे से रिश्वती राशि बरामद की, उस ईट का रूई के फोहे की मदद से धोवन लिया जाकर उक्त धोवन को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में रूई के फोहे को उक्त घोल में डुबोकर घुलवाया गया तो धोवल का रंग गदमेला हो गया जिसको दो साफ कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क BR-1 व BR-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी लिया गया। रूई के उक्त फोहे को सूखाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का BR अंकित कर सील मोहर कर कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल की निशान देही से कार्यालय के पीछे बनी खिडकी का रूई के फोहे की मदद से धोवन लिया जाकर उक्त धोवन को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में रूई के फोहे को उक्त घोल में डुबोकर घुलवाया गया तो धोवल का रंग गदमेला सा हो गया जिसको दो साफ कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क W-1 व W-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी लिया गया। रूई के उक्त फोहे को सूखाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का W अंकित कर सील मोहर कर कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी लिया गया। गवाह श्री संजय अग्रवाल से आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल की निशाहनदेही कार्यालय के पीछे बनी खिडकी में लटकी हुई ईंट के पिछे से रिश्वती राशि में 10,000 रूपये मिले, जिनको गिनकर दोनों गवाहान ने 500-500 रूपये के बीस नोट, कुल 10,000 रू0 होना बताया। जिनके नम्बर दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 10,000 रू0 के नोट होना पाये गये। बरामद शुदा 10,000/-रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी श्री कृष्ण सिंह यादव की 2 दुकान की भूमि अक्षरधाम कॉलानी, दिल्ली रोड, आमेर की दुकानों का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाने से संबधित कागजात के बारे में पूछा तो उक्त दोनो आरोपीगण ने परिवादी से संबंधित कोई दस्तावेजात/पत्रावली नहीं होना बताया। तत्पश्चात परिवादी एवं आरोपी श्री ओमप्रकाश की निशानदेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। फर्द नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकार्ड होना पाई गई, जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपीगण श्री रतिपाल सिंह व श्री ओमप्रकाश को उनके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.01.2025 एवं दिनांक 27.01.2025 व वक्त रिश्वती लेन-देन दिनांक 28.01.2025 परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी-अपनी नमूना आवाज बाबत् लिखित में पत्र दिये गये तो आरोपीगण ने अपनी-अपनी नमूना आवाज देने से पत्र की पुश्त पर लिखित में स्पष्ट इंकार कर दिया। अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्री रतिपाल सिंह, वनपाल एवं आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी, वनरक्षक के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 61 (2) व 308 (2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया पाया जाने पर आरोपीगण श्री

रतिपाल सिंह, वनपाल एवं आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी, वनरक्षक को पृथक-पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात दिनांक 28.01.2025 को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी की फर्द विडियोग्राफी नियमानुसार तैयार कर पृथक से सीडी तैयार की गई तथा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार कर पृथक-पृथक सीडी तैयार की गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण श्री रतिपाल सिंह वनपाल एवं श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी वनरक्षक नाका चिमनपुरा, रेन्ज नाहरगढ, अभ्यारण, वन्यजीव जयपुर द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर आपसी षडयंत्र कर एवं भय दिखाकर वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री कृष्ण सिंह यादव की 2 दुकान की भूमि अक्षरधाम कॉलोनी, दिल्ली रोड, आमेर की दुकानों का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाने की ऐवज में आरोपीगणों द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को बिना नोटिस व बिना रसीद तथा बिना विहित प्रावधानों के कुल 10,000 रुपये आरोपी श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी वनरक्षक द्वारा स्वयं व अपने अधिकारी श्री रतिपाल सिंह वनपाल के लिए प्राप्त किये गये। दिनांक 25.01.2025 को आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग कर व रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 28.01.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री रतिपाल सिंह वनपाल एवं श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी वनरक्षक द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 61 (2) व 308 (2) बी.एन.एस.2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है अतः आरोपीगण 1.श्री रतिपाल सिंह पुत्र श्री शिम्भू सिंह, जाति राजपूत, उम्र 42 साल, निवासी ग्राम तलसीपुरा, पोस्ट ठिकरिया, जिला कोटपूतली बहरोड, थाना प्रागपुरा हाल वनपाल, नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर व 2. श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी पुत्र श्री हरफूल सिंह, जाति जाट, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम पापडा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू हाल वनरक्षक, नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। (सुरेन्द्र पंचोली) उप अधीक्षक पुलिस स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र पंचोली,उप अधीक्षक पुलिस,स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर। ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 61 (2) व 308 (2) बी.एन.एस.2023 में आरोपीगण 1.श्री रतिपाल सिंह पुत्र श्री शिम्भू सिंह, जाति राजपूत, उम्र 42 साल, निवासी ग्राम तलसीपुरा, पोस्ट ठिकरिया, जिला कोटपूतली बहरोड, थाना प्रागपुरा हाल वनपाल, नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर व 2. श्री ओमप्रकाश मिठारवाल उर्फ फौजी पुत्र श्री हरफूल सिंह, जाति जाट, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम पापडा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू हाल वनरक्षक, नाका चिमनपुरा, रेज नाहरगढ अभ्यारण, वन्य जीव, जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कविता यादव, पुलिस निरीक्षक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान जयपुरको मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 523 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 88-91 दिनांक 30.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जयपुर, 2. उप वन संरक्षक, (वन्य जीव), चिडियाघर, जयपुर 3. उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAVITA YADAV **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Ranul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/01/2025 15:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/09/1982				
2	Male	10/06/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)